न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 146/2022

1 ईमामुदीन पुत्र कमरूदीन जाति मनियार निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
2 यासीन पुत्र नजरूदीन जाति मनियार निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 समसुदीन पुत्र कमरूदीन जाति मनियार निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (मृतक)
1/1 जमालुदीन पुत्र समसुदीन
1/2 सराजुदीन पुत्र समसुदीन
1/3 सदाम हुसैन पुत्र समसुदीन
जाति मनियार निवासीगण किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
1/4 जरीना पत्नी महबुब अली लखारा जाति मनियार निवासी वार्ड नम्बर 3 बी एस एन एल टावर के पास ग्राम पोस्ट साधुवाली तहसील श्री गंगानगर जिला गंगानगर।
1/5 जैबुन पत्नी सलीम लखारा जाति मनियार निवासी वार्ड नम्बर 3 बी एस एन एल टावर के पास ग्राम पोस्ट साधुवाली तहसील श्री गंगानगर जिला गंगानगर।
1/6 बलकेश बानो पत्नी हारून मनियार निवासी सेही कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
1/7 मंजु पत्नी फारूख जाति मनियार निवासी कोलिडा जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

1/8 माफीया पत्नी हनिफ जाति मनियार निवासी मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

2 ाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा ाखा सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झनू राज.।

3 सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ाखा सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

1955 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 07.09.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी समसुदीन बनाम ईमामुदीन वगैरह मु.नं. 124/2021 प्रार्थना पत्र अस्थाई नि ोधाज्ञा

उपस्थिति :

1. ीम दन गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री होशियार सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (seal)

–निर्णय–

दिनांकः– 13.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 124/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/1 लगायत 1/8 के पिता समसुदीन ने अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 4 के विरूद्ध विचारण न्यायालय में ग्राम किठाना की भूमि खसरा नम्बर 1504/928, 942, 941 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में दिनांक 07.12.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी अपीलांट की ओर से धारा 151 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 941 के अवस्थित कनेक्शन से नये बोरिंग को चलाने की अनुमति चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से धारा 151 सीपीसी का आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। दौराने सुनवाई अपील रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपील की पोषणीयता पर आपत्ति की। रेस्पोडेन्ट की आपत्ति पर बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा धारा 212 के आवेदन में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में पुराने कनेक्शन से नये बोरिंग को चलाने की अनुमति धारा 151 सीपीसी के आवेदन में चाही थी। विधि अनुसार धारा 212 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय होती है। अतः रेस्पोडेन्ट की आपत्ति खारिज की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के आवेदन खारिज करने के आदेश के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते

विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 151 सीपीसी में पारित आदेश की निगरानी होती है। इस आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के आवेदन खारिज करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 151 सीपीसी में पारित आदेश की निगरानी होती है। इस आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)